पत्रांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–06/2016....1151....

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र नाथ पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 16.9...., 2016

विषय – योजना एवं गैर योजना की स्वीकृति हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ संलेख उपस्थापित किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–14.09.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही प्रेषित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं गैर योजना की स्वीकृति हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ संलेख उपस्थापित किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–14.09.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

अनु० :–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16.9.16

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव

16/9/16

योजना एवं गैर योजना संबंधी विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ संलेख उपस्थापित किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–14.09.2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

क्र०	नाम		पदनाम
1	**श्री अंजनी कुमार सिंह,**	:–	**मुख्य सचिव, बिहार**
2	**श्री शिशिर सिन्हा**	:–	विकास आयुक्त, बिहार
3	**श्री रवि मित्तल**	:–	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
4	**श्री दीपक प्रसाद**	:–	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग
5	**श्री ब्रजेश मेहरोत्रा**	:–	प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

कार्यवाही :– निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

वित्त विभाग के संकल्प सं०– 96 दिनांक–03.01.2008 की कंडिका '6 क' जिसमें उल्लेखित है कि "केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित चालू स्कीम के राज्यांश के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट में उपबंध उपलब्ध हो, तो प्रत्येक वर्ष अलग से प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासी विभाग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार इन स्कीमों का क्रियान्वयन करेगा।"

उपरोक्त संकल्प की कंडिका '7' में अंकित है कि "राज्य योजना एवं गैर योजना क्षेत्र की चालू स्कीमों के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की लागत के अंतर्गत संबंधित वर्ष के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) तथा बजट उपबंध के अंतर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा। योजनाओं का क्रियान्वयन एवं राशि की विमुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा योजना के संबंध में सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर यदि छात्रवृत्ति की दर में कोई परिवर्त्तन नहीं है, तो प्रतिवर्ष योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और इसे चालू योजना की श्रेणी में ही मानते हुए बजट उपबंध के अंतर्गत राशि विमुक्त की जा सकती है।"

अतः निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप योजना एवं विकास विभाग सभी विभागों को आवश्यक निदेश दें।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना	(दीपक प्रसाद) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना	(रवि मित्तल) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	(शिशिर सिन्हा) विकास आयुक्त, बिहार	(अंजनी कुमार सिंह) मुख्य सचिव, बिहार